

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 34/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति माली निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1दरबारराम पुत्र सरदारराम जाति बंजारा निवासी ताउसर। 2सरपंच, ग्राम पंचायत ताउसर। 3ग्राम पंचायत ताउसर जरिये ग्राम सेवक।

उपस्थिति- श्री नरेन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

श्री भंवरलाल सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

**निर्णय**

दिनांक 26.02.2021

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा मिसल सं. 283/17-18 जिसके द्वारा पट्टा सं. 29 दिनांक 01.12.2017 अप्रार्थी सं. 1 दरबारराम के हक में जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 29 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट की फोटोप्रति, उच्च न्यायालय के आदेश की फोटोप्रति, रिट पिटिशन की फोटोप्रति, रिट पिटिशन में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिनांक 04.09.17 की फोटोप्रति, आदेश दिनांक 16.7.18 की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.5.19 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दरबारराम के परिचय पत्र की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्र दिनांक 14.10.09 की फोटोप्रति, अधिसूचना दिनांक 8.12.09 की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 24.2.10 की फोटोप्रति, रामनाडिया गांव के परिवारो की सूची की फोटोप्रति, फर्द मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति तथा खतौनी ग्राम ताउसर के संवत् 2062-65 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मंगाया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस शुरू करते बताया कि-

2(1)-अप्रार्थी सं. 1 को जारी पट्टा प्रारंभ से ही अवैध, शून्य तथा विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)-ग्राम ताउसर के खसरा सं. 279, 334, 354, 306, 307 की भूमि गोचर भूमि है तथा गोचर भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार या अन्य किसी भी संस्था, अधिकारी को नहीं है। गोचर भूमि को गोचर से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ न तो काम में ली जा सकती है और न ही गोचर से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी को दी जा सकती है।

2(3)-गोचर भूमि खसरा सं. 279 में से कभी आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवंटन व अन्तरण ग्राम पंचायत ताउसर को नहीं किया गया था। आवंटन व अन्तरण का दस्तावेज फर्जी, कूटरचित है अन्यथा भी विकल्प में गोचर भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित नहीं की जा सकती थी। ग्राम ताउसर में गै.मु. मगरा तथा बंजर सरकारी भूमि बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहते गोचर भूमि में से आबादी हेतु भूमि का अन्तरण ग्राम पंचायत को नहीं हो सकता था। इस प्रकार खसरा सं. 279 में से आबादी भूमि का अन्तरण प्रारंभ से ही अवैध, शून्य तथा विधि विरुद्ध है। प्रार्थी द्वारा रिट पेश करने के दिन तक तो खसरा सं. 279/1967 का राजस्व नक्शे में तरमीम ही नहीं हो रखा था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सब कार्यवाही बाद में अतिक्रमियों से मिलावट कर फर्जी रूप से कूटरचना कर तैयार की गई। खसरा सं. 279/1967 की भूमि कभी भी आबादी काम में नहीं आयी है अपितु गोचर के काम में आती रही है। इस प्रकार 279/1967 की भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था।

2(4)-अप्रार्थी सं. 1 का अतिक्रमण खसरा सं. 279 की भूमि पर नहीं होकर खसरा सं. 334 की भूमि पर है। मगर फिर भी इस अतिक्रमण को बचाने के लिये अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने 279/1967 की आड में पट्टा जारी किया है। जो सर्वथा गलत है।

2(5)-अप्रार्थी सं. 1 का अतिक्रमण बिल्कुल नया अतिक्रमण है। अप्रार्थी सं. 1 सहित सभी अतिक्रमियों के कब्जे सन् 2015 से लेकर 2017 के बीच की अवधि में किये हुए हैं। 2015 से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा नहीं था। पटवारी रिपोर्ट से भी अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा बिल्कुल नया था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था।

2(6)-खसरा सं. 279/1967 की भूमि राज्य सरकार द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित व अंतरित की गई थी। उस समय इस भूमि पर किसी के कब्जे नहीं होने से इसका अन्तरण ग्राम पंचायत को किया गया था व ग्राम पंचायत को अन्तरण के बाद भी यह भूमि गोचर काम में आती रही थी। गोचर भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है।

**अपर कलक्टर, नागौर**

2(7)– खसरा सं. 279/1967 की भूमि राज्य सरकार द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को अंतरित की गयी थी। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 157 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा नहीं दिया जा सकता था। ग्राम पंचायत ऐसी भूमि को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 की पालना करने के पश्चात नीलामी कार्यवाही द्वारा राज्य सरकार की अनुमति पश्चात ही आबादी विस्तार हेतु किसी को भूमि देने के लिये सक्षम है। नियम 142 के अनुसार ग्राम पंचायत ने न तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा और न ही ग्राम योजनाकार से परियोजनाये, स्कीम तैयार करायी। इस प्रकार नियम 142 के किसी प्रावधान की पालना नहीं होने से पट्टा खारिज योग्य है।

2(8)– 279/1967 की भूमि केवलमात्र बाजारू कीमत या उससे अधिक राशि पर ही नीलामी प्रक्रिया से किसी को ग्राम पंचायत द्वारा दी जा सकती थी। ग्राम पंचायत ने न तो नीलामी समिति से भूमि की बाजारू कीमत तय करायी और न ही नीलामी कार्यवाही की। नियम 151, 152 की कोई पालना पट्टा जारी करने में नहीं अपनायी गयी। इसलिये भी पट्टा खारिज योग्य है।

2(9)– पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की आपति जारी नहीं की गयी। आपति नोटिस फर्जी तैयार किये हुए हैं और इन नोटिसों को कभी भी चस्पा नहीं किया गया। नोटिस चस्पानगी की सारी कार्यवाही फर्जी है और पंचायत भवन में बैठकर तैयार की गयी है। नोटिस पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 के ही रिश्तेदारों व गोचर भूमि के अतिचारियों के तथा जिनको पट्टे जारी किये गये हैं। उन्हीं के हस्ताक्षर हैं जो स्पष्ट रूप आपति प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाती है तथा वास्तव में कभी आपति जारी नहीं की गयी। अप्रार्थी सं. 1 व अन्य सभी अतिक्रमियों को बेदखल करने के माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सहित प्रार्थी व ग्रामवासियों ने अभ्यावेदन ग्राम ताउसर के सरपंच व ग्रामसेवक को दे रखे थे। इस प्रकार ग्राम पंचायत तथा सभी अप्रार्थीगण को माननीय राज. उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही व विचाराधीन रिट याचिका तथा उसमें पारित आदेश की जानकारी थी। उसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना न केवल अवमानना की श्रेणी में आने वाला अशोभनीय कृत्य है। अपितु निंदनीय व खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने आपस में षडयंत्र रचकर माननीय राज. उच्च न्यायालय के बेदखली आदेश को पराभूत करने की बदनियति से बिना क्षेत्राधिकार के पट्टा जारी किया और पट्टा प्राप्त किया। ग्राम पंचायत ने धारा 146 के नियम की पूर्णतया पालना भी नहीं की इसलिये भी पुनरीक्षणाधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

2(10)– 2015 से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व अन्य अतिक्रमियों का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं था। जो इस बात से भी साबित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे अतिक्रमण का कोई उल्लेख अपने दस्तावेजों में नहीं है। पंचायती राज नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि पंचायत की आबादी भूमि, तालाब तल और चारागाह की भूमियों पर अतिचारियों का सर्वेक्षण कर इसका इन्द्राज करे तथा अतिक्रमियों को नोटिस देकर बेदखल करे तथा तहसीलदार को अवगत कराये और उचित समझे तो पुलिस मदद लेकर बेदखली कार्यवाही करे। अप्रार्थी सं. 1 व अन्य अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही करने के स्थान पर उनसे मिलावट धोखाधड़ी व षडयंत्र कर बिना अधिकार के पट्टे जारी कर दिये जो पट्टे खारिज किये जाने योग्य हैं।

2(11)– किसी भी सूरत में अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा पचास साल का अथवा पुराना कब्जा व पुस्तैनी भूमि होना साबित नहीं था। नीलामी के अलावा भूमि अंतरित नहीं की जा सकती थी। लाखों रु. की भूमि होते हुए भी मात्र दो सौ रु. में पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत व सरकार को लाखों रु. का अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जानबूझकर नुकसान पहुँचाया। अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन नहीं है। फिर भी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है।

2(12)– स्वामित्व विवादग्रस्त होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। संपूर्ण विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। ऐसी सूरत में किसी सूरत में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। इस नियम की जानबूझकर ग्राम पंचायत द्वारा अनदेखी की गई।

2(13)– इस भूमि के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने तथा माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा बेदखली के आदेश के कायम रहते ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन 5.9.17 में 22 अतिक्रमियों के पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन लेना तथा एक ही दिन यानि 6.11.17 को सभी 22 पट्टे जारी करने का प्रस्ताव लेना तथा सभी 22 पट्टे एक ही दिन 1.12.17 में जारी करना स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी को जाहिर करता है। इसलिये भी पुनरीक्षणाधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

2(14)– प्रथमतः गोचर भूमि मूल खसरा सं. 279 में से आबादी हेतु भूमि अंतरित नहीं की जा सकती थी और न ही ग्राम पंचायत इस भूमि के पट्टे जारी कर सकती थी। गोचर भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम से सुरक्षित व प्रतिबंधित भूमि है और राज्य सरकार, जिलाधीश या अन्य कोई अधिकारी और संस्था गोचर भूमि की किस्म को परिवर्तित करने के लिये प्राधिकृत नहीं है। इसलिये खसरा सं. 279 में से आबादी विस्तार हेतु 279/1967 की भूमि ग्राम पंचायत को अंतरित नहीं की जा सकती थी और न गोचर से भिन्न प्रयोजनार्थ ये भूमि काम में ली जा सकती है। इसलिये 279/1967 का अंतरण प्रारंभ से अवैध व शून्य होने से इस भूमि पर आबादी हैसियत से ग्राम पंचायत को विधि अनुसार कोई अधिकार कभी नहीं मिले और न ग्राम पंचायत इसमें पट्टे जारी कर सकती है। अन्यथा भी

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से नियम 165 की पालना नहीं करने के कारण से भी पुनरीक्षणार्थी पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

2(15)– वकील प्रार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 141, 142, 142, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 154 यानि नियम 141 से 154 के नियमों और उसमें उल्लेखित प्रावधानों की पालना नहीं की जबकि नियम 141 से नियम 168 के प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है तथा बताया गया कि –

1– नियम 145 – पंचायत से कोई भी भूमि खरीदने का इच्छुक व्यक्ति पंचायत को लिखित में आवेदन जिसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो, अंकित करेगा, मगर किसी भी अप्रार्थी ने अपने आवेदन में खसरा सं. 279/1969 में मकान होना नहीं बताया है तथा मकान की चारों दिशाओं का पडौस खुली जमीन बताया गया है। इसलिये आवेदन भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त नहीं है। कब्जा कब से इसका भी उल्लेख आवेदन में नहीं है।

2– नियम 146 के तहत तीन पंचों की समिति स्थल निरीक्षण कर निम्नलिखित विषयों पर अपनी राय देने के प्रावधान है।

(क) क्या आवेदित विक्रय ग्रामीणों द्वारा आने जाने के लिये सुविधाओं की प्रभावित करेगा।

(ख) अन्य व्यक्तियों के सुखाधिकार अधिकारों को प्रभावित करेगा।

(ग) परिक्षेत्र की सुंदरता व सफाई को प्रभावित करेगा।

(घ) भूमि को खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के नाम

मगर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में इन् बिन्दुओं बाबत किसी प्रकार की राय नहीं दी गई है तथा स्थल निरीक्षण में अपीलान्त के मकान बने होने का उल्लेख नहीं है।

3– नियम 147 – स्थल निरीक्षण पश्चात पंचायत किसी बैठक में प्रोविजनल रूप से विनिश्चित करेगी कि विक्रय किया जाये या नहीं, के संबंध में नियम 148 में पंचायत द्वारा प्रोविजनल विनिश्चय पश्चात पंचायत नोटिस जारी कर आक्षेप / आपति आमंत्रित किये जाने के प्रावधान है। जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया पंचों की स्थल यानि मौका रिपोर्ट 20.9.17 को पेश हुई उस दिन अपीलान्त को भूमि का विक्रय या पट्टा जारी करने का कोई प्रोविजन, आदेश या प्रस्ताव नहीं लिया गया और न ही आगामी बैठक 24.10.17 को लिया गया। सर्वप्रथम 6.11.17 को ऐसा प्रस्ताव प्रोविजन विनिश्चय का लिया गया। ऐसी स्थिति में नियम 148 के अनुसार 6.11.17 को या उसके पश्चात आक्षेप आपति के नोटिस जारी होने चाहिये थे। मगर ऐसा नहीं कर 6.11.17 को ही पट्टे जारी कर दिये। जो आज्ञापक नियमों के विपरीत है। इन मामलों में नोटिस प्रोविजनल विनिश्चय से पहले हो। 20.9.17 को ही नोटिस जारी किये गये जो नियमों के विरुद्ध था, ऐसे नोटिस विधि मान्य नहीं थे। इसके अलावा वास्तव में आपति नोटिस प्रकाशित व चर्चा ही नहीं किये गये। जिन मौतबरो के समक्ष नोटिस चर्चा करने बताये हैं वे सभी मौतबर चेनाराम, जीताराम, पोकरराम, गेनाराम, गुलाबराम, सज्जनलाल, भागीरथ, बहादुरराम, अवतार, ठाकरराम, आसूराम हैं जिन्होंने सब ने पट्टे प्राप्त किये हैं और इन्होंने ही एक दूसरे के नोटिसों पर हस्ताक्षर कर मौतबर बने हैं जो मिलीभगत साबित करती हैं। कोई भी स्वतंत्र मौतबर नहीं है। इन सभी मौतबरो के पट्टों को खारिज कराने की रिवीजन पेश की हुई है।

4– नियम 141 के अनुसार भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के द्वारा किये जाने के प्रावधान होते हुए भी इस मामले में नीलामी कार्यवाही नहीं की गई है।

5– नियम 142 (1) के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिये भूमि किसी पंचायत को अन्तरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे के पद का न हो ग्रामीण विकास के लिये विकास योजना तैयार करायेगी और वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा 142 (4) अनुसार अनुमोदित विकास परियोजनाओं / स्कीमों में भूखण्डों को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नीलाम और आवंटन द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में नियम 142(1) की कोई पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। कोई विकास योजना तैयार नहीं करायी गयी तथा 142 (4) के अनुसार नीलाम और आवंटन दो प्रक्रिया से ही भूमि दी जा सकती है। किसी अन्य तरीके से नहीं। जिससे नियम 142 (4) के प्रावधानों की बिल्कुल पालना नहीं की गई।

6– नियम 157 के अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी के पुराना कब्जा होने का कोई सबूत नहीं था। नियम 157 की यह पहली शर्त है जो साबित नहीं हो पायी थी। इसलिये नियम 157 में पट्टा नहीं दिया जा सकता था। नियम 157 में नहीं दी जा सकती थी। 142 (1) व 142 (4) की कोई पालना नहीं की गई।

इस प्रकार किसी नियम की पालना नहीं की गई और नियमों की अवहेलना की गई तथा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 पृष्ठ सं. 39 से 45, 2019(2) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सं. 570 से 574, 2015(2) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सं. 595 से 599, 2015(1) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सं. 443 से 448, आरएलडब्लू 1996 (3) राज. पृष्ठ सं. 138 से 141, आरएलडब्लू 1999 (2) राज. पृष्ठ सं. 1032 से 1034 तथा 2019 डीएनजे (एससी)

पृष्ठ सं. 14 से 17 नजीरे पेश की।

3- वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि -

3(1)- अप्रार्थी ग्राम रामनाडिया का निवासी है। यह ग्राम पहले ताउसर का भाग था। जो वर्ष 2010 में नवसृजित ग्राम रामनाडिया के नाम से बना। वर्तमान ग्राम रामनाडिया के खसरा नं. 279 में से समय समय पर आबादी हेतु भूमि सरकार द्वारा आरक्षित की गई है। प्रार्थी ग्राम ताउसर का निवासी है। जिसका इस भूमि में कोई हित नहीं होने से प्रार्थी जगदीश को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट जगदीश द्वारा प्रस्तुत की गई। उसमें खसरा नं. 279/1967 का हवाला नहीं है। अप्रार्थी आजादी के समय से ही रहता आया है तथा अप्रार्थी का कब्जा / मकान वर्ष 2015 से नहीं होकर पूर्वजों के समय से रहता आया है।

3(2)- ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के सभी विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा पंजीबद्ध हो चुका है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र / पट्टा को निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है तथा रजिस्टर्ड पट्टा दस्तावेज निरस्तीकरण की कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015(2) पृष्ठ सं. 967 से 968 नजीर पेश की।

3(3)- पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी में किसी पंचायत राज संस्था द्वारा पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता अथवा ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में ही जांच की जा सकती है।

3(4)- प्रश्नगत भूमि गोचर से आबादी में सपरिवर्तित हुई है तथा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज है। जिससे जब तक उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन किये जाने का शासकीय आदेश प्रभावी है तो यह भूमि आबादी की भूमि ही मानी जायेगी। अप्रार्थी राजकीय गोचर भूमि पर काबिज हो तथा इसी आराजी भूमि को लेकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई अभिलेख अथवा तथ्य नहीं है।

3(5)- ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत आपति विज्ञप्ति नोटिस जारी किये गये हैं तथा जिस क्षेत्र से संबंधित पट्टा जारी किया गया है। वहां बणजारा जाति के लोग ही एक जगह पर निवासरत हैं तथा एक ही जाति के लोग होने से आपति विज्ञप्ति की चस्पानगी पर इन्ही के हस्ताक्षर / गवाही ही होगी। सार्वजनिक आपति विज्ञप्ति नोटिस पर कोई आपति नहीं आयी है। जिस पर विधि अनुसार पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है।

इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में स्थित भूमि का निहित प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है। जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

4- वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि उनके द्वारा आराजी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को लेकर शुरू से ही विरोध करता आया है। समय समय पर अतिक्रमण को लेकर शिकायतें भी प्रस्तुत की गई हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई। आराजी भूमि गै.मु. गोचर सार्वजनिक उपयोगी भूमि है। जिसमें सभी व्यक्तियों का हित निहित होता है। जिससे प्रार्थी इसमें हितबद्ध व्यक्ति होने से लोकस स्टेण्डाई बनती है। यहां तक कि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा लिये गये किसी विनिश्चय की समीक्षा करने हेतु माननीय न्यायालय को स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही करने के अधिकार हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खसरा नं. 279/67 मूल रूप से खसरा नं. 279 गै.मु. गोचर का ही भाग है। जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन रहने के दौरान पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है। जो निरस्तनीय है।

5- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार -

5(1)- प्रार्थी द्वारा पत्रावली सं. 283/2017-2018 जिसमें अप्रार्थी दरबारराम को पट्टा सं. 29 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)- अप्रार्थी का उजर रहा है कि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी होकर पंजीबद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान यथा "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" अधिकारिता को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रदत्त की गयी थी। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 139 (5) पं. रावि / शिक्षा / 2000 / 294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा दिनांक 01.02.02 के पश्चात धारा 97 के तहत सुनवाई के अधिकार वापस लिये गये। तत्पश्चात राज्य सरकार की

